1183

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
विशाल काम्प्लेक्स, 19–ए विधान सभा मार्ग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / आर.आई. / बी.एस.पी.एम. / 14–15 / 11 / दिनांकः 26 मई 2014

विषय–माह जून 2014 में आयोजित 'बाल स्वास्थ्य पोषण माह' के अन्तर्गत विटामिन 'ए' के क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय, / महोदया,

जैसा कि आप अवगत है कि प्रत्येक वर्ष प्रदेश के 09 माह से 5 वर्ष तक के समस्त बच्चों को प्रत्येक वर्ष जून एवं दिसम्बर माह में बाल स्वास्थ्य पोषण माह के अन्तर्गत विटामिन 'ए' की खुराक से आच्छादित किया जाता है।

इसी क्रम में वर्ष 2014–15 का प्रथम चरण माह जून 2014 में आयोजित किया जाना है। उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में बाल स्वास्थ्य पोषण माह के प्रथम चरण का आयोजन दिनांक 2–30 जून 2014 तक किया जायेगा। महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्रांक संख्या अ0नि0 / यू0आई0पी0 / कैम्प / 2014 / 1667–75 दिनांक 07.05.2014 द्वारा "बाल स्वास्थ्य पोषण माह" (02 जून से 30 जून 2014) के सफल संचालन हेतु दिशा निर्देश निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

उपरोक्त उद्देश्य से वर्ष 2014–15 की कार्ययोजना में 'बाल स्वास्थ्य पोषण माह' के अन्तर्गत विटामिन 'ए' क्रय किये जाने हेतु राज्य कार्ययोजना में प्राविधान किया गया है। शत्–प्रतिशत बच्चों को आच्छादित करने हेतु विटामिन 'ए' समुचित मात्रा में उपलब्ध हो सके, इसको सुनिश्चित करने हेतु संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार विटामिन 'ए' को क्रय किये जाने हेतु धनराशि का प्राविधान किया जा रहा है। समस्त जनपदों के जिला स्वास्थ्य समितियों को विटामिन 'ए' की बोतलों के क्रय हेतु मद संख्या B.16.2.2.2 से धनराशि दिनांक 23.05.2014 को अवमुक्त कर दी गयी है।

विटामिन 'ए' के क्रय हेतु महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा अनुबन्ध पत्र संख्या 8फ / द0अनु0–629 / 2013–14 दिनांक 25 फरवरी, 2014 के अनुसार ₹ 50.45 प्रति बोतल की दरें निर्धारित की गयी हैं, जिसकी वैधता 31 मार्च 2014 थी। परन्तु पुनः महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के पत्र संख्या 8फ /भण्डार / विविध–6 दिनांक 31.03.2014 के अनुसार निर्गत दर अनुबन्धों की वैधता दर अनुबन्ध जारी करने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावी माने जायेंगे। दिये गये निर्देशों के अनुसार विटामिन 'ए' की बोतलों का क्रय करना सुनिश्चित करें साथ ही कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

27/05/14

MIS

संलग्नक–(1)जनपदवार बजट शीट
(2)दर अनुबन्ध की प्रति
(3)दर अनुबन्ध समय विस्तार प्रति।

भवदीय,

(डा0 वेद प्रकाश)
महाप्रबन्धक, आर0आई0

पत्रांक–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / आर.आई. / बी.एस.पी.एम. / 14–15 / 11 / 750-75-13 तददिनांकः

प्रतिलिपि–

1. निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, आई0सी0डी0एस0, तृतीय तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ
5. अपर मिशन निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त नियंत्रक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक एम0आई0एस0, एन0आर0एच0एम0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु सम्बन्धित को दिशा–निर्देश देने का कष्ट करें।
9. अपर निदेशक, यू0आई0पी0 / संयुक्त निदेशक (आर0आई0), परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
11. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. राज्य कार्यक्रम प्रतिनिधि, माइक्रोन्यूट्रिएन्ट इनिशिएटिव (एम0आई0), 2–60 विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को बैठक में सहयोग दिये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. कार्यक्रम अधिकारी, यूनीसेफ, 3 / 194, विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ।

(डा0 वेद प्रकाश)
महाप्रबन्धक, आर0आई0